

—:: कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ —::

—:: आदेश ::—

आरक्षक संवर्ग भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2017-18 के अंतर्गत जिला धमतरी हेतु आरक्षक (जी0डी0) एवं आरक्षक (चालक) के पद पर चयनित उम्मीदवारों का स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने पर उन्हें योग्य पाया गया है। अतः निम्नांकित उम्मीदवारों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर जिला पुलिस बल धमतरी में आरक्षक (जी0डी0) एवं आरक्षक (चालक) के पद पर वेतनमान 19500-62000 रुपये तथा शासन द्वारा मान्य मेंहगाई भत्ता एवं अन्य मान्य भत्तों पर रक्षित केन्द्र धमतरी में आमद देने के दिनांक/समय से आगामी आदेश पर्यन्त अस्थायी तौर पर अनन्तिम (PROVISIONAL) रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में आरक्षक (जी0डी0) एवं आरक्षक (चालक) के पद पर चयनित निम्नांकित उम्मीदवारों का जिला इकाई स्तर पर चरित्र सत्यापन जाँच कराई गई, जाँच रिपोर्ट में उम्मीदवारों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होना नहीं पाया गया तथा पुलिस मुख्यालय से चरित्र सत्यापन रिपोर्ट अनुकूल पाये जाने की प्रत्याशा पर नियुक्ति प्रदान किया जाता है।

आरक्षक (जी0डी0) एवं आरक्षक (चालक) के पद पर चयनित निम्नांकित उम्मीदवारों का परिवीक्षाधीन अवधि पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70% , 80% एवं 90% राशि स्टापपेण्ड के रूप में दिया जावे। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन नियत किया जावेगा।

यदि उम्मीदवारों के विरुद्ध चरित्र सत्यापन से संबंधित भविष्य में किसी प्रकार की स्थिति निर्मित होती हो तो उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जावेगा साथ ही अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग प्रमाण पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्यक्षीन है और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलाता है कि अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग अथवा होमगार्ड बल के सदस्य होने संबंधी जैसा भी मामला हो, से संबंध होने का दावा एवं अन्य प्रमाण-पत्र/जानकारी असत्य है, तो असत्य प्रमाण-पत्र/जानकारी प्रस्तुत करने के लिये भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों या अन्य विधिक प्रावधानों या धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है तथा वह बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किये जाने का उत्तरदायी होगा।

छत्तीसगढ़ शासन अधिसूचना कं0- 977/सी-761/वि/नि/चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुसार दिनांक 01.11.2004 के अनुसार नई परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन योजना लागू होगी।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शासकीय सेवा (अस्थाई एवं अर्द्धशासकीय) सेवा नियम 1960 की कंडिका-12 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियुक्तकर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे अस्थाई शासकीय सेवक की सेवा समाप्त किसी भी समय एक माह की लिखित नोटिस (सूचना) देकर कर सकता है, इसी प्रकार शासकीय सेवक भी नियुक्तकर्ता अधिकारी को एक माह की लिखित सूचना देकर सेवा से त्यागपत्र दे सकता है, या सूचना की अवधि के बदले एक माह का वेतन तथा भत्ता जमा करना होगा। ऐसा न करने पर यह बकाया रकम भू-राजस्व की भाँति वसूल किया जावेगा।

आरक्षक (जी0डी0)

क्र०	नाम अभ्यर्थी एवं पिता का नाम	पता	जन्मतिथि	शिक्षा	वर्ग
01.	मनोज कुमार मिलन पिता श्री तेरस राम	ग्राम खैरझिटी थाना बिलाईगढ़ जिला बलौदाबाजार भाठापारा	24.04.1995	10वीं	अजा0
02.	डिकेश कुमार सिन्हा पिता स्व0 श्री राजेश्वर सिन्हा	ग्राम पीपरछेडी थाना करैगाँव जिला धमतरी	03.01.1994	10वीं	अ0पि0वर्ग
03.	ठाकुर राम पिता श्री बाल मुकुंद	हटकेशर वार्ड थाना सिटी कोतवाली जिला धमतरी	19.11.1995	10वीं	अ0पि0वर्ग
04.	कुमेश कुमार पिता श्री चिंता राम	ग्राम कुहकुहा थाना कुरुद जिला धमतरी	07.09.1996	10वीं	अ0पि0वर्ग
05.	होरीलाल साहू पिता स्व0 श्री युवराज कुमार	ग्राम रिको थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर	10.11.1998	10वीं	सामान्य
06.	जसवंत सिंह पिता श्री संग्राम	ग्राम बरही थाना बालोद जिला बालोद	06.03.1997	10वीं	सामान्य

07.	गजाधर साहू पिता श्री धरमलाल साहू	ग्राम लखमई सत्ती थाना कसडोल जिला बलौदाबाजार	12.02.1995	10वी	अ0पि0वर्ग
08.	ठलेन्द्र कुमार साहू पिता श्री मूलचंद साहू	ग्राम खर्वा थाना गुरुद जिला बालोद	10.08.1998	10वी	सामान्य
09.	शुभम गोस्वामी पिता श्री चम्पेश्वर	ग्राम परखंडा थाना कुरुद जिला धमतरी	02.10.1996	10वी	अ0पि0वर्ग
10.	साजिद अली पिता रशीद अली	रिसाईपारा धमतरी थाना सिटी कोतवाली जिला धमतरी	08.07.1992	10वी	सामान्य
11.	विजय नारायण यादव पिता श्री राजाराम यादव	ग्राम ठेठवार पारा श्रमिक नगर छावनी भिलाई थाना जामुल जिला दुर्ग	19.09.1996	10वी	सामान्य
12.	चन्द्रशेखर साहू पिता श्री राजेन्द्र कुमार	ग्राम गंगोरीपार थाना गुरुर जिला बालोद	10.08.1997	10वी	अ0पि0वर्ग
13.	अजित कुमार पिता श्री भारत राम	ग्राम परखंडा थाना कुरुद जिला धमतरी	19.04.1997	10वी	अ0पि0वर्ग
14.	गोपाल राम नेताम पिता श्री बिसाहू राम	ग्राम परपोडी थाना परपोडी जिला बेमेतरा	20.11.1994	10वी	अजजा0
15.	अब्दुल वकरम खान पिता जुम्मन खान	ग्राम देवरी थाना बेरला जिला बेमेतरा	10.05.1992	10वी	सामान्य
16.	सागर सोनकर पिता श्री धनेश सोनकर	महिमा सागर वार्ड धमतरी थाना सिटी कोतवाली जिला धमतरी	02.02.1995	10वी	अ0पि0वर्ग
17.	यशवंत साहू पिता श्री विश्वास	सेक्टर 10 भिलाई थाना सेक्टर-6 भिलाई नगर जिला दुर्ग	25.06.1991	10वी	अ0पि0वर्ग
18.	धर्मेन्द्र कुमार चन्द्राकर पिता श्री खेमलाल	ग्राम कांडे थाना डौंडी जिला बालोद	16.05.1993	10वी	अ0पि0वर्ग
19.	रेखा पाल पिता श्री छबिलाल पाल	ग्राम बेलौदी थाना मगरलोड जिला धमतरी	15.04.1998	10वी	अ0पि0वर्ग
20.	देवचरण पिता श्री यशवंत कुमार	ग्राम मेघा थाना मगरलोड जिला धमतरी	10.06.1989	10वी	अ0पि0वर्ग
21.	सुलोचना यादव पिता श्री राम्हू यादव	ग्राम सेनचुवा थाना कुरुद जिला धमतरी	15.08.1986	10वी	अ0पि0वर्ग
22.	नरोत्तम कुमार पिता श्री भगवानी	ग्राम केनाभाठा थाना सरिया जिला रायगढ	11.05.1990	10वी	अ0पि0वर्ग
23.	लता साहू पिता श्री तुलसी राम साहू	ग्राम सोरम थाना रूद्री जिला धमतरी	30.12.1990	10वी	अ0पि0वर्ग
24.	महेन्द्र कुमार जांगडे पिता श्री मोहित राम	ग्राम भेजरीडीह थाना खरोरा जिला रायपुर	14.09.1988	10वी	अजा0
25.	रामचरण पिता श्री रतीराम	ग्राम रतनपुर थाना रतनपुर जिला बिलासपुर	01.01.1998	10वी	अजजा0
26.	टोकेश्वर कुमार पिता स्व0 श्री जीवनलाल	ग्राम बेलरदोना थाना मगरलोड जिला धमतरी	30.12.1996	10वी	अजजा0

(बी0पि0वर्ग)
पुलिस अधीक्षक,
जिला धमतरी

प्रतिलिपि :- कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

01. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, अटल नगर नवा रायपुर।
02. पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज, रायपुर ।
03. रक्षित निरीक्षक धमतरी को ओ0 बी0 हेतु।
04. मुख्य लिपिक / स्टेनो / लेखा-01 / लेखा-02 पुलिस कार्यालय धमतरी।
05. रक्षित निरीक्षक धमतरी / स्टोर कीपर, रक्षित केन्द्र धमतरी ।
06. एस0आर0सी0-01 को उम्मीदवारों के आवेदन पत्र, मेडिकल प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन मूलतः संलग्न कर सेवा पुस्तिका / अभिलेख तैयार करने हेतु।
07. सर्व संबंधित को सूचनार्थ। 15 दिवस के भीतर नियुक्ति पर रक्षित केन्द्र धमतरी में आमद देवे। समय पर आमद नही देने की स्थिति में आपका नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

पुलिस महानिरीक्षक
जिला धमतरी